

प्रपत्र- 2

परिशिष्ट

(देखिये नियम-6)

**राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म**

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

ब्रंसं०	परियोजना का विवरण:-	
1	<p>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।</p> <p>ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।</p> <p>ग) परियोजना की लागत।</p> <p>घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।</p> <p>ङ) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)</p> <p>च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।</p>	<p>जनपद बागेश्वर में मा० मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या-886/2017 के अन्तर्गत ग्राम खोली में खेल मैदान का निर्माण कार्य।</p> <p>संलग्न है।</p> <p>शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है, वन भूमि स्वीकृति उपरान्त निर्माण हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृति की जायेगी।</p> <p>विस्तृत औचित्य प्रस्ताव में संलग्न है।</p> <p>प्रस्ताव में संलग्न है।</p> <p>स्टेडियम निर्माण के दौरान लगभग 60-65 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रुकेगा।</p>
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	<p>आरक्षित वन भूमि— 0.000 है० सिविल सोयम वन भूमि— 1.280 है० वन पचांयत भूमि— 1.568 है० कुल वन भूमि— 2.848 है० नाप भूमि— 0.000 है० कुल भूमि— 2.848 है०</p>
3	<p>परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हो,</p> <p>क) परिवारों की संख्या</p> <p>ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या</p> <p>ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)</p>	<p>आवश्यकता नहीं है। लागू नहीं है।</p> <p>लागू नहीं है।</p> <p>आवश्यकता नहीं है।</p>
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।

5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन एवं प्रस्तावित स्थल के चारों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का आंगणन वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में लगाया गया है। वृक्षारोपण व्यय, एन०पी०वी० तथा स्थल के चारों ओर रिक्त स्थानों पर पौधारोपण में आने वाला व्यय खेल विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी वचनबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का ब्यौरा।	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित हैं।

दिनांक.....

स्थान— बागेश्वर

(ज्युबैद अहमद)
उप क्रीड़ा अधिकारी
बागेश्वर

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर, नाम, मुहर

(विनोद सिंह वल्दिया)
जिला क्रीड़ा अधिकारी
बागेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)